

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268183
SG-DL-E-03122025-268183

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2025/अग्रहायण 6, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 343
No. 362]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2025/AGRAHAYANA 6, 1947	[N. C. T. D. No. 343

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

फा0 सं0 2(22)/अभि0/01/खण्ड-III/10932-10938.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991 की धारा 45(घ) की उपधारा (क) के साथ पठित अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3)(च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली एतद् द्वारा श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री नीरज, अधिवक्ता को अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

इसके अतिरिक्त, श्री समीर वशिष्ठ, स्थायी वकील (सिविल), दिल्ली उच्च न्यायालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम, 1991 की धारा 45(घ) की उपधारा (क) के साथ पठित अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 (2001 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3)(ड.) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री रमेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री राजीव खोसला, अधिवक्ता और सुश्री नंदिता राव, वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम अधिवक्ता कल्याण निधि ट्रस्टी समिति के सदस्यों की सूची से हटा दिए गए हैं।

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2025

F. No. 2(22)/Lit/01/Vol.III:10932-10938.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and sub-section (3)(f) of Section 4 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 (45 of 2001) read with sub-section (a) of Section 45(D) of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) Act, 1991, Hon'ble Lt. Governor, Delhi is pleased to appoint Sh. Sh. Maninder Singh, Sr. Advocate and Sh. Neeraj, Advocate as members in the Advocates' Welfare Fund Trustee Committee.

Further, Sh. Sameer Vashisht, Standing Counsel (Civil), Delhi High Court, is appointed as member of Advocate Welfare Fund Trustee Committee, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and sub-section (3)(e) of Section 4 of the Advocates' Welfare Fund Act, 2001 (45 of 2001) read with sub-section (a) of Section 45(D) of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) Act, 1991.

The names of Sh. Ramesh Gupta, Sr. Advocate and Sh. Rajiv Khosla, Advocate and Ms. Nandita Rao, Sr. Advocate are omitted from the list of members in the Advocates' Welfare Fund Trustee Committee.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

By order and in the name of
Hon'ble Lt. Governor, Delhi

REETESH SINGH, Principal Secretary (Law, Justice And LA)